सरकार के घोटालों की एफ.आई.आर.कराने की मांग कर रहे सांसद किरोड़ी मीणा को गिरफ्तार किया

जयपुर। गहलोत सरकार के जलदाय विभाग में 20 हज़ार करोड़ व खान विभाग में 66 हज़ार करोड़ रुपए के खनन घोटाले का गंभीर आरोप लगाकर घोटालों की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दो दिन से धरने पर बैठे सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आज सुबह अशोक नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया।

इसके पहले सांसद मीणा करीब 1 घंटे थाने के समीप ही सड़क पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने समझाइश की। बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर चाकसू थाने ले गई। इस दौरान चाकसू थाने के बाहर सांसद मीणा के सैकड़ों समर्थक इकट्ठा हो गए जिन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान चाकसू थाने में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। इस दौरान सांसद मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुलिस मेरी आवाज को दबा नहीं सकती। मीणा ने कहा कि सरकार में हुए घोटालों के लिए पहले भी लड़ा था, अभी भी लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा।

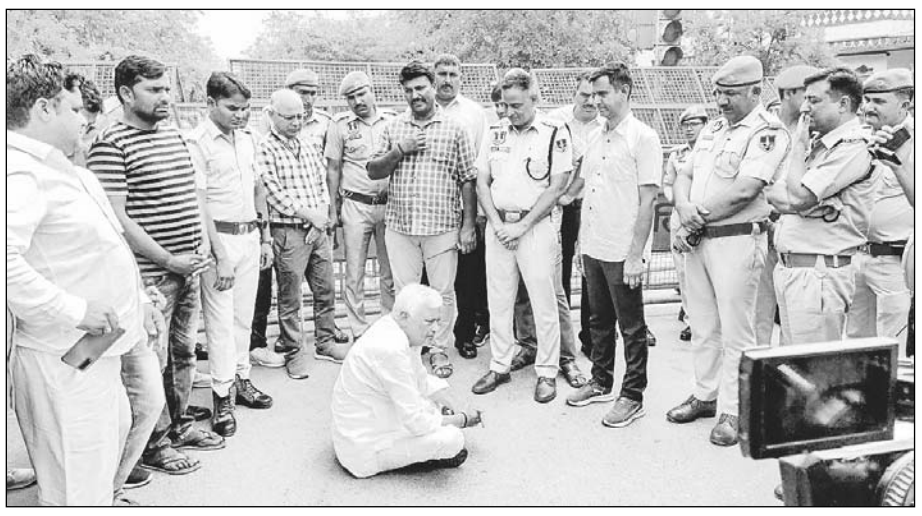

अशोक नगर थाने के बाहर से पुलिस ने जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना स्थल और उस पर लगे टेंट को हटाया तो वे नाराज होकर बीच सड़क पर धरना देने बैठ गये।

सांसद मीणा ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अशोक नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार दावा करती है कि हम परिवादी की तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं लेकिन सीएम गहलोत ने एफ आई आर दर्ज करावाने की बजाय धरना स्थल से गिरफ्तार करवा लिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चाकसू थाने पहुंचकर कहा कि शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्रा को इस अन्याय के ख़िलाफ ज्ञापन देंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की कोर कमेटी बैठकर इस मामले में आगे की रणनीति की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके बाद डॉ मीना और सैकड़ों समर्थक थाने से रवाना हुए।

> **'गहलोत की पुलिस मेरी आवाज को दबा नहीं सकती, परिवादी की सुनवाई करने के बजाय सीएम ने पुलिस से गिरफ्तार कराया'**

राज्यपाल कलराज मिश्र को बीमा लोकपाल रिपोर्ट सौंपी

राज्यपाल कलराज मिश्रा को प्रदेश के बीमा लोकपाल राजीव दत्त शर्मा ने गुरूवार को राजभवन में बीमा लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट-2022-23 की प्रति सौंपी। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान लोकपाल कार्यालय में 1911 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 679 शिकायत जीवन बीमा संबंधित, 295 सामान्य बीमा से और 937 शिकायत स्वास्थ्य खंड बीमा से संबंधित थीं। इन सभी शिकायतों का निपटारा इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया गया है। बीमा लोकपाल ने राज्यपाल को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त शिकायतों की संख्या में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवसर पर सचिव राजेश जलोडिया, उप सचिव राजेश कुमार पारीक व बीमा लोकपाल एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

'भाजपा-आरएसएस नहीं, गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति दंगों के लिए जिम्मेदार'

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा, ''चुनाव आते ही गोभक्त हो जाते हैं मुख्यमंत्री''

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आरएसएस और भाजपा पर की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। शेखावत ने कहा कि आरएसएस और भाजपा के खिलाफ आज तक दंगे भड़काने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जबकि गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति राजस्थान में दंगों के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस की धार्मिक भेदभाव की सोच और प्रशासन की ढिलाई जिम्मेदार है।

गुरुवार को अपने बयान में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भाजपा-आरएसएस दंगों की राजनीति में विश्वास नहीं करते। भाजपा-आरएसएस के खिलाफ आज तक दंगे भड़काने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, जबकि गहलोत सरकार की तुष्टीकरण नीति के चलते पहले करौली में दंगा भड़का, फिर उसके बाद भीलवाड़ा और जोधपुर में दंगे हुए। इस सरकार की तुष्टीकरण नीति के चलते उदयपुर में निर्दोष कैन्हयालाल टेलर का सिर काट दिया गया। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार में तुष्टीकरण की हालत यह है कि दंगों की जांच और आरोपियों को पकड़ने में भी धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। यही कारण है कि इनकी कमजोर पैरवी के चलते जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी हाईकोर्ट से छूट गए। हद तो यह है कि अपनी तुष्टीकरण नीति को देखने के बजाय मुख्यमंत्री दूसरों पर आरोप लगाते हैं। शेखावत ने कहा कि इससे जनता में आक्रोश है और आगामी चुनाव में यह कांग्रेस की हार के रूप में सामने आएगा। शेखावत ने कहा कि चुनाव का समय आते ही मुख्यमंत्री गोभक्त हो जाते हैं। गोदान करने का राग अलापते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि राजस्थान में लाखों गायें लंपी से मर गई थीं। उनके उपचार में उनकी सरकार पूरी तरफ विफल साबित हुई। अब सरकार ने मात्र 76 हजार मौतें लंपी से मानी है जबकि इस महामारी में लाखों गायें मारी थीं। गोपालकों को मुआवजा देने का ढोल तो पीटा जा रहा है, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं दिया गया। शेखावत ने कहा कि राज्य में अभी तक 42 हजार दुधारू गायों का ही मुआवजा दिया है, जबकि पशुपालकों को राहत शिविरों में बुलाकर परेशान किया जा रहा है।

> **पर्दे के पीछे रह कर आग लगाने का काम कांग्रेस का, संघ और भाजपा का काम तो आग बुझाने का है : राजे**

पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि मुख्यमंत्री आरएसएस और भाजपा को कोसने से बाज़ आए। प्रदेश में दंगे आरएसएस और भाजपा नहीं अशोक गहलोत की तुष्टिकरण नीति करवाती है, जितनी भी साम्प्रदायिक घटनायें हुई हैं, उनके पीछे कांग्रेस की वोटों की राजनीति है। पर्दे के पीछे रह कर आग लगाने का काम कांग्रेस का है, संघ और भाजपा तो कांग्रेस की लगाई हुई आग को बुझाती है। आये दिन संघ के ख़िलाफ़ एक ही राग अलापने वाले गहलोत शायद भूल गये कि देश की आजादी के समय जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर सीमा लांघने की कोशिश की, तो सैनिकों के साथ संघ के स्वयंसेवकों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राण दिए थे।

भाजपा ने तूफान पीड़ितों के लिए शुरू की हैल्पलाइन

जयपुर। बिपरजाय तूफ़ान से प्रभावित पीड़ितों की समस्याओं के समाधान व सहायता के लिए भाजपा की ओर से हैल्पलाइन सेवा प्रारंभ की गई है। इस हैल्पलाइन का नंबर 8929208080 रखा गया है। हेल्पलाइन पर जानकारी प्राप्त होने के बाद केंद्र एव राज्य सरकार से तुरन्त संपर्क कर पीड़ित व्यक्तियों की मदद की जाएगी।

हैल्पलाइन की मॉनिटरिंग के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, प्रदेश प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक सुनील कुमावत रहेंगे।

आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ा

जयपुर। प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में आंगनबाड़ी केन्द्रों की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की 55816 आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वृद्धि के बाद इनका मानदेय 3564 से बढ़ कर 4098 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।

'स्वीकृत हुई पूरी लोन राशि नहीं देना फाइनेंस कंपनी का सेवादोष'

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर मेट्रो की स्थाई लोक अदालत ने कहा है कि उपभोक्ता का लोन स्वीकृत करने के बाद उसे स्वीकृत हुए लोन की पूरी राशि नहीं देना फाइनेंस कंपनी का सेवादोष है। ऐसे में फाइनेंस कंपनी से उसने जितनी लोन राशि ली है वह उतनी ही राशि चुकाने के लिए जिम्मेदार है, फिर चाहे फाइनेंस कंपनी ने उसे ज्यादा राशि का लोन ही मंजूर किया हो। वहीं अदालत ने परिवादी को कहा है कि वह लोन की बकाया राशि 17,520 रुपए विपक्षी फाइनेंस कंपनी को जमा कराए। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष हरविन्दर सिंह व सदस्य शंभू दयाल शर्मा ने यह आदेश महेश सैनी के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी ने 28 फरवरी 2019 को उसका 2.40 लाख रुपए का लोन मंजूर किया था। परिवादी की स्वीकृति मिलने पर कंपनी ने उसके बैंक खाते में एनईएफटी के जरिए 1,09,520 रुपए भेज दिए, लेकिन स्वीकृत लोन की बकाया राशि 1,30,480 रुपए उसे नहीं दी। परिवाद में कहा गया कि फाइनेंस कंपनी उससे मासिक किस्त लोन राशि 2.40 लाख रुपए पर ही ले रही है। जबकि मासिक किस्त एक लाख नौ हजार 520 रुपए पर ही लेनी चाहिए थी। इस पर उसने लोन अकाउंट बंद करने के लिए कहा तो कंपनी ने एक साल के लॉक इन पीरियड का हवाला देकर मना कर दिया। इसे स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए कहा कि उसे स्वीकृत लोन राशि की बजाय कम राशि दी गई। ऐसे में मासिक किस्त स्वीकृत लोन के आधार पर लेना गलत है। इससे परिवादी को मानसिक संताप हो रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि परिवादी लिए लोन के पेटे 92 हजार रुपए दे चुका है, इसलिए वह बकाया 17,520 रुपए ही फाइनेंस कंपनी में जमा कराए।

नगीना व्यापारी ने जहर खाकर आत्महत्या की

जयपुर (कासं)। गलता गेट क्षेत्र के के मोहल्ला इच्छावतान बदनपुरा में रहने वाले नगीना व्यापारी ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड से पहले उसने वीडियो बनाकर अपने बिजनेस पार्टनर्स पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। वीडियो में कहा है कि मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन आबिद खान (40) ने अपने ही घर में बुधवार दोपहर 3 बजे जहर खा लिया था। तबीयत खराब होने के बाद परिजन उसे लेकर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां रात साढ़े 10 बजे उसकी मौत हो गई थी। हॉस्पिटल से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।

आबिद की जेब से सुसाइड नोट मिला था। इसमें अंसार और लतीफ नाम के दो युवकों का नाम था। सुसाइड नोट में लिखा था कि वह इन दोनों की वजह से अपनी जान दे रहा है। इधर, जब आबिद का मोबाइल खंगाला गया तो उसमें से सुसाइड से पहले का एक वीडियो भी मिला है। इस घटना के बाद बुधवार रात में ही आबिद के छोटे भाई वाजिद खान की रिपोर्ट पर लतीफ व अंसार के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। आबिद (मृतक) के भाई वाजिद खान ने बताया कि अंसार और लतीफ के साथ आबिद नगीनों का बिजनेस करता था। रामगंज थाने में अंसार और लतीफ ने धोखाधड़ी का मामला आबिद के खिलाफ दर्ज करवाया था। मामले में लगने के बाद साल 2020 से आबिद अपना कारोबार अलग करने लगा। इसके बाद से दोनों उसके भाई को टॉर्चर कर रहे थे।

'मुफ्त बिजली 100 यूनिट हुई तो घटी सरकारी सब्सिडी'

जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार इन दिनों प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 50 यूनिट के बजाय 100 मुफ्त बिजली मुफ्त देने के नाम पर खुद की वाहवाही करते नहीं थक रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि राजधानी जयपुर में जहां सरकार बैठती हैं, वहीं पर बिजली बिलों में दी जाने वाली सब्सिडी में गफलत सामने आयी है।

जयपुर निवासी पैथोलॉजिस्ट डॉ. रोहित जैन ने सोशल मीडिया पर जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी अपने अप्रैल व मई माह के बिजली बिल को शेयर करते हुए सब्सिडी देने में गफलत की पोल खोली है। उनका कहना है कि अप्रैल माह में जब सरकार 50 यूनिट मुफ्त बिजली देती थी, तब 750 रुपये सब्सिडी की राशि बिजली के बिल में से कम हुई थी, लेकिन जब मई माह में 100 यूनिट मुफ्त बिजली का बिल आया तो उसमें यह राशि घटकर 562.50 रुपये ही कर दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार आखिर किस तरह से आमजन को मूर्ख बनाने का काम कर रही है।

रोडवेज की बसों में अब महिलाओं का लगेगा आधा किराया

जयपुर। राज्य सरकार ने महिलाओं को रोडवेज की बसों में सफर करने पर रियायत का दायरा बढ़ाया है। अब महिलाओं/बालिकाओं को राज्य की सीमा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर महिलाओं/बालिकाओं का आधा किराया ही लगेगा। अभी महिलाओं/बालिकाओं को केवल साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी।

हाईकोर्ट ने गजेन्द्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा

अदालत ने पूछा कि ए.सी.बी. को उनके वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति क्यों ना दे दी जाए

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुडे मामले में वायरल हुई ऑडियो क्लिप को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी कर पूछा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ए.सी.बी.) को उनकी वॉइस सैंपल लेने की अनुमति क्यों ना दे दी जाए। जस्टिस सीके सोनगरा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की याचिका पर दिए।

याचिका में अतिरिक्त महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने गलत तरीके से ए.सी.बी. के प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। निचली अदालत ने जिस आधार पर वॉइस सेंपल लेने के संबंध में ए.सी.बी. का प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, वह प्रावधान ब्लड सैंपल और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने के मामले में लागू होता है। जबकि यह मामला वॉइस सैंपल लेने का है। जांच एजेंसी गिरफ्तार किए बिना भी वॉइस सैंपल ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी पूर्व में अन्य मामले में तय कर चुका है कि इस संबंध में संसद की ओर से स्पष्ट कानून बनाने तक मजिस्ट्रेट वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे में निचली अदालतों के आदेश को रद्द करते हुए ए.सी.बी.को गजेन्द्र सिंह की वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

> **हाईकोर्ट ने यह नोटिस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एक वायरल ऑडियो क्लिप के संबंध में दिया है। आरोप है कि, उस ऑडियो क्लिप में शेखावत की आवाज है।**

गौरतलब है कि जुलाई, 2020 में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुई थीं, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत की जा रही थी। आरोप है कि इस ऑडियो क्लिप में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन की आवाज है। ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया था। वहीं बाद में एसओजी की ओर से क्षेत्राधिकार के आधार पर एफ.आर. पेश की गई थी। दूसरी ओर इसी मामले में एसीबी ने भी संजय जैन, विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था तथा संजय जैन को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद निचली अदालत ने एसीबी को संजय जैन का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी थी, लेकिन संजय ने सैंपल देने से मना कर दिया था। वहीं निचली अदालत ने गजेन्द्र सिंह का सैंपल लेने के लिए ए.सी.बी. की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ पेश रिवीजन को ए.डी.जे. कोर्ट ने खारिज कर दिया था। राज्य सरकार की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में बच्ची के परिचित ममेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घटना के बाद कल रात से फरार चल रहा था। पीड़ित परिवार बच्ची को लेकर रात को ब्रह्मपुरी थाने पहुंचा था। बच्ची के ब्लीडिंग हो रही थी, जिस पर पुलिस बच्ची के परिजनों को लेकर अस्पताल पहुंची। जहां पर बच्ची का उपचार शुरू कराया गया। बच्ची के परिजनों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने रात को ही आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित इलाकों में दबिश देना शुरू कर दिया। जिस पर आज आरोपी की गिरफ्तार की गई।

पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस एक्टिव हो गई। बच्ची की बुआ और उसके पिता उसे थाने लेकर आए थे। बच्ची की हालत देख कर थाना पुलिस ने सीनियर ऑफिसर को घटना की जानकारी दी। जिस पर बच्ची का पहले मेडिकल करवाया गया जिसके बाद उसका उपचार शुरू हुआ।

परिजनों ने रिश्ते के भाई पर आरोप लगाया जिस पर आरोपी की तलाश शुरू की लेकिन आरोपी ना घर पहुंचा ना ही उसका मोबाइल नंबर लग रहा था। जिस पर आरोपी के संभावित ठिकानों पर होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने देर रात दबिश देना शुरू किया। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की पूछताछ लिए आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा।

606 नवीन पदों का होगा सृजन

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवसृजित 15 जिला में प्रशासनिक कार्य सम्पादन की दृष्टि से कलेक्ट्रेट कार्यालयों हेतु 606 नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी है।

उन्होंने नवसृजित कार्यालयों को विभागीय भवन उपलब्ध होने तक किराये के भवन में संचालित किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है।

विवाहिता से गैंगरेप का मामला दर्ज

जयपुर। खोह-नागोरियान क्षेत्र में एक विवाहिता से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने खोह नागोरियान थाने में चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

प्रदेश में करोना से एक संक्रमित की मौत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में गुरूवार को एक संक्रमित की करोना से मौत हो गई है। वहीं इस बीच राज्य में एक नया मरीज मिला है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में पांच संक्रमितों के रिकवर होने से एक्टिव केस घटकर 8 रह गए हैं।

प्रदेश में गुरूवार को उदयपुर में एक नया संक्रमित पाया गया है। इससे पहले राज्य में बुधवार को भी एक रोगी मिला था। इधर राज्य में आज 1665 कोविड जांच की गई है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में उदयपुर में पांच संक्रमितों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 8 रह गए हैं। इनमें छह मामले जयपुर में है। प्रदेश में गुरूवार को करोना से दौसा में एक संक्रमित की मौत हो गई है।

महिला बंदियों ने किया योगाभ्यास

जयपुर । आर्ट ऑफ लिविंग परिवार जयपुर द्वारा सेंट्रल महिला जेल एवं ज़िला जेल जयपुर में 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग प्राणायाम का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत बंदियों को योग, प्राणायाम, एवं ध्यान कराया गया जिस्मे बंदियों द्वारा उक्त कार्यक्रम में शामिल हो कर जीवन में ध्यान साधना का संकल्प लिया गया।

मोदी की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाए कार्यकर्ता : अरूण चतुर्वेदी

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं केबिनेट मंत्री रहें डॉ.अरूण चतुर्वेदी ने सिविल लाइन विधान सभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की टिफिन बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का आव्हान किया है की वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिए गए निर्णयों, योजनाओं की जानकारी से हर व्यक्ति को अवगत कराए।

डॉ.चतुर्वेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति कर भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है इसीलिए अब हमारा देश विश्व शक्ति के रूप में सामने आया है। मोदी के शासन में हर वर्ग के उत्थान का काम किया गया है। इस अवसर पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए 9 साल बनाम 66 साल की तुलना की। उन्होंने जयपुर रेल्वे स्टेशन के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जयपुर जंक्शन के लिए 727 करोड़, गांधीनगर स्टेशन के लिए 217 करोड़ और खातीपुरा स्टेशन के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट पास कर जयपुर को पर्यटन स्थल के रूप में मान दिया है। बैठक में सिविल लाइन विधान सभा क्षेत्र के कार्यर्ताओं ने अपने-अपने घर से लाए भोजन का आनंद लेकर एक दूसरे की मनुहार की।

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं केबिनेट मंत्री रहे डॉ.अरूण चतुर्वेदी ने गुरूवार को सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की टिफिन बैठक में भाग लिया।

बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रणजीत सिंह, शहर उपाध्यक्ष रवि शर्मा, शहर मंत्री रेखा राठौड, पूर्व कोषाध्यक्ष सुनील भार्गव, सिविल लाइंस विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, निर्मल राजपुरोहित, दिनेश यादव, राकेश गुर्जर सहित मोर्चो के अध्यक्ष, समस्त पार्षद, मंडल पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे।

भाविनी भार्गव को ऑस्ट्रेलिया में मिली 70 लाख की स्कॉलरशिप

जयपुर (कासं)। जयपुर की बहुमुखी युवा प्रतिभा भाविनी भार्गव ने अपनी उपलब्धियों से न सिर्फ राजस्थान का, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध डीकिन यूनिवर्सिटी की ओर से 70 लाख रुपए की डीकिन राजस्थान रॉयल्स 100 प्रतिशत वाइस चांसलर्स स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। इसके जरिए वर्तमान में वे वहां बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि कई चरणों की परख के बाद इस स्कॉलरशिप के लिए दुनियाभर के कुछ युवाओं का चयन किया जाता है।

इसमें इस सैशन में भारत से जयपुर की भाविनी भार्गव सहित सिर्फ दो स्टूडेंट्स का चयन किया गया है। राजस्थान के एनजीओ वसुधा जन विकास संस्थान के साथ इंटर्नशिप के तहत गांवों की लड़कियों को खेलों के बारे में जागरूक करने तथा स्पोर्ट्स व एकेडमिक अचीवमेंट्स के आधार पर इस स्कॉलरशिप के लिए भाविनी का चयन किया गया। वे जयपुर के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. पुनीत भार्गव व डॉ. सीमा भार्गव की बेटी हैं।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्टूडेंट्स को अपने काम से मोटिवेट करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाविनी भार्गव को भारत और ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन कोलोब्रेशन का मोटिवेशन फेस चुन चुके हैं।

भाविनी इस सम्मान को एक बड़ी जिम्मेदारी मानती हैं और उम्मीद करती हैं कि स्टडी के लिए विदेश जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स दुनियाभर में अपनी उपलब्धियों से देश का नाम रोशन करें। भाविनी ने इंग्लिश पोएम बुक अनहियर्ड लिखी है, जो आज अमेजन की बेस्ट सेलिंग बुक है और इससे भाविनी अमेजन की बेस्ट सेलिंग बुक राइटर बन चुकी हैं। इस बुक में इस युवा लेखिका ने अपनी रचनाओं के जरिए बताया है कि जीवन में उतार-चढ़ावों से कैसे पार पाया जा सकता है।